


कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/461/2022, दिनांक: मार्च, 16, 2022
--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन लखनऊ पीठ कार्यालयों हेतु युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है:-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दिनांक 23.03.2022 से 24.03.2022 तक	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र० लखनऊ व पीठ-2 लखनऊ	न्यायिक विभागीय


(जितेंद्र कुमार सिंह)
एच०पी०सी०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/461/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2 व पीठ-3 लखनऊ।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/वैयक्तिक सहायक), मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


(तरुण कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।